वाद सं. 120/2013 अन्तर्गत 183 R.T.A मोतीसिंह v/s डोगा

दि. 23-6-2018 को यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर कार्यभार को राज्य प्रधान करने की दृष्टि से न्याय मापदण्ड हेतु अभियान 2018 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण को इत्तला नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने से अन्तिम तिथि तारीख पेशी सुनवाई वादीगण व वकील वादीगण तथा प्रतिवादीगण व वकील प्रतिवादीगण सुनवाई के दौरान नोटिस तामील होने की सूचना के बावजूद भी हाजिर नहीं हुये जिसपर तिलोरा तहसीलदार सिरोही से रेकर्ड के मद्देनजर तथ्यात्मक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी गई। जिसपर तहसीलदार सिरोही ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ जमाबंदी नकल (वर्ष 2010-2013) खाता नं. 283 (नया) खसरा नं. 850, रकबा 0.9200 हेक्टेयर व खसरा नं. 851 रकबा 0.7000 हेक्टेयर के अनुसार वादी श्री मोतीसिंह के अलावा शेष वादीगण में इनकी माताजी एवं बहिनों द्वारा इनके पक्ष में हकत्याग कर दिया गया है। तथ्यात्मक श्री मोतीसिंह द्वारा भूमि का बयान कर दिया गया है। जिसका समान्तरण संख्या 105 दि. 5.2.2016 के द्वारा वर्तमान में पारिया में हवाब घोषित मेहवाब कब्जा शेष दर्ज हो गया है। वादी का उक्त वाद ग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार शेष नहीं है। अतः उपरोक्त तहसीलदार सिरोही की तथ्यात्मक रिपोर्ट व संलग्न जमाबंदी नकल के आधार पर वाद ग्रस्त कृषि भूमि का बयान हो जाने के फलस्वरूप उक्त वाद को चलाने का कोई मकसद भी नहीं रहता है इसलिये विचाराधीन यह वाद वादीगण व प्रतिवादीगण 183 R.T.Act का विरुद्ध खारिज किया खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। निर्णय अन्तर्गत कम्प्यूटर अदालत से मजमून अदालत सभा केन्द्र अदालत से मजमून आम में सुनाया गया। पत्रावली घोसला शुमार होकर नंबर से कम हो।

23/6/18

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001